5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

R-3816-II/16

क्रमांक -दो/2016 निगरानी

श्रीमती अवध कुँअर पत्नि गणेश जू यादव

ग्राम खिरिया पुनावली , तहसील करैरा

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ----आवेदिका

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

----अनावेदकगण

( निगरानी अंतर्गत धारा 50 , म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - श्रीमान तहसीलदार, तहसील करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 43/2015-16 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 26-3-2016 के विरुद्ध )

कृ0पृ030-2

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
### भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 3816–एक/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20–8–18 | आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक उपस्थित। शासन की ओर सें पैनल लायर उपस्थित । निगरानी की प्रचलनशीलता पर तर्क सुने गये आदेशार्थ।<br><br>सदस्य | |
| 12/10/18 | प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 43/15–16 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 26–3–16 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।<br>2/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–1918 से हुये सॅशोधन अनुसार तहसीलदार करैरा व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–3–16 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है अपितु अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील सुनवाई योग्य है। तद्नुसार प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी करैरा की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है । पक्षकार दिनांक 27–11–2018 को अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष उपस्थित रहें।<br><br>सदस्य<br><br>अनुविभागीय अधिकारी करैरा | |